प्रेस नोट
दिनांक 31.10.2025

सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर ”रन फॉर यूनिटी“ का आयोजन, गोण्डा पुलिस द्वारा एकता, अखंडता व राष्ट्रप्रेम का संदेश–

गोण्डा। आज दिनांक 31.10.2025 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर जनपद गोण्डा में ”रन फॉर यूनिटी (त्नद वित न्दपजल)“ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनपद में राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं समरसता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा श्री अमित पाठक एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अम्बेडकर चौराहा से हरी झंडी दिखाकर किया गया। हरी झंडी दिखाते ही उपस्थित जनपदीय पुलिलस के 600 महिला/पुरूष पुलिस कर्मचारीगण व स्कूल छात्र/छात्राओं ने देशभक्ति के भाव से ओत–प्रोत होकर मैराथन दौड़ प्रतिभाग किया। मैराथन दौड़ शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुलिस लाइन गोण्डा स्थित राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी बहुउद्‌देश्यीय हॉल में समाप्त हुई। वहाँ पहुंचने पर पी०ए०सी० बैंड द्वारा राष्ट्रभक्ति की धुनें प्रस्तुत की गईं, जिससे समूचा वातावरण देशभक्ति से सराबोर हो गया। बहुद्देशीय हाल में आयोजित औपचारिक कार्यक्रम में सभी अधिकारी/कर्मचारीगण एकत्र हुए, जहाँ पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा श्री अमित पाठक एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात् पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा राष्ट्रीय एकता संकल्प पढ़ा गया, जिसे उपस्थित सभी अधिकारी/कर्मचारीगण ने एक स्वर में दोहराया। अपने प्रेरणादायक संबोधन में पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि सरदार वल्लभभाई पटेल जी द्वारा स्वतंत्र भारत के एकीकरण में जो अद्वितीय योगदान दिया गया, वह सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने कहा कि उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए हमें राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को सर्वोपरि रखना चाहिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा भी सभी को एकता और देशसेवा का संकल्प दिलाया गया तथा बताया कि ”रन फॉर यूनिटी“ जैसे आयोजन से समाज में राष्ट्रीय एकता, सद्‌भावना और अनुशासन का संदेश प्रसारित होता है। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक कार्यलय में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी तथा उपस्थित पुलिस कर्मियों को राष्ट्रीय एकता संकल्प पढ़ाया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, क्षेत्राधिकारी लाइन सुश्री शिल्पा वर्मा, क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय, प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 31.10.2025</u>

<u>पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में नये आपराधिक कानूनों के प्रति जन–जागरूकता अभियान 2.0 के अन्तर्गत आज दिनांक 31.10.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा पुलिस कार्यालय स्थित सभागार कक्ष में जनपद के व्यापार मण्डल के सदस्यों के साथ गोष्ठी कर</u> भारत सरकार द्वारा पारित नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 (बी0एन0एस0), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बी0एन0एस0एस0) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (बी0एस0ए0) नये आपराधिक कानूनों की प्रमुख विशेषताओं से अवगत कराया जाएगा, जिनमें मुख्य रूप से जीरो एफआईआर की सुविधा (किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की व्यवस्था), ई–एफआईआर प्रणाली के माध्यम से तकनीकी रूप से सुलभ रिपोर्टिंग, समयबद्ध न्याय प्रणाली की अवधारणा, महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों का सशक्तीकरण, फोरेंसिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग से जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रभावशीलता, पीड़ित–केंद्रित न्याय प्रणाली तथा नये अपराधों की परिभाषाएँ एवं दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गयी। अभियान के दौरान जनपदीय पुलिस अधिकारी स्थानीय नागरिकों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं छात्र–छात्राओं के साथ संवाद स्थापित कर उनके प्रश्नों का समाधान करेंगे। साथ ही सूचना पुस्तिकाएँ, बैनर, पम्पलेट एवं डिजिटल माध्यमों के जरिए भी जन–जागरूकता बढ़ाई जाएगी। पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा बताया कि इन नये आपराधिक कानूनों का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि न्याय सुनिश्चित करना, पीड़ितों की सुरक्षा एवं सम्मान की रक्षा करना तथा तकनीकी नवाचारों के माध्यम से अपराध नियंत्रण को सशक्त बनाना है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे इन कानूनों की जानकारी प्राप्त करें और अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें। यह तीन दिवसीय अभियान कल से प्रारम्भ होकर 01 नवम्बर 2025 तक सतत रूप से संचालित रहेगा ताकि अधिक से अधिक नागरिक नये आपराधिक कानूनों की जानकारी प्राप्त कर विधिक रूप से सशक्त एवं जागरूक नागरिक बन सकें तथा समाज में कानून के प्रति विश्वास एवं सहयोग की भावना को और अधिक प्रगाढ़ किया जा सके।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 31.10.2025</u>

<u>नये आपराधिक कानूनों के प्रति जन–जागरूकता अभियान 2.0 के अन्तर्गत व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों/सदस्यों के साथ गोष्ठी आयोजित, नये कानूनों की विशेषताओं से कराया गया अवगत–</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में जनपद गोण्डा में नये आपराधिक कानूनों के प्रति चलाए जा रहे जन–जागरूकता अभियान 2.0 के अन्तर्गत आज दिनांक 31.10.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा पुलिस कार्यालय गोण्डा स्थित मीटिंग हाल में व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ एक व्यापक गोष्ठी आयोजित की गयी है। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा उपस्थित व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा पारित नये आपराधिक कानूनों– भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, की प्रमुख विशेषताओं, उद्देश्यों एवं उनके व्यावहारिक महत्व से अवगत कराया गया। गोष्ठी के दौरान महोदय द्वारा बताया गया कि नये कानून भारत की न्याय व्यवस्था में समयबद्ध, पारदर्शी और पीड़ित–केंद्रित न्याय प्रणाली की दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव हैं। इनके अन्तर्गत प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं–

- जीरो एफआईआर की सुविधाः अब किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है, जिससे पीड़ित व्यक्ति को न्याय के लिए थाना क्षेत्र की सीमा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
- ई–एफआईआर प्रणालीः डिजिटल माध्यम से अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराने की सुविधा, जिससे शिकायत प्रक्रिया होगी अधिक सुलभ और पारदर्शी।
- महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों का सशक्तीकरणः लैंगिक अपराधों के मामलों में कठोर दंड एवं त्वरित न्याय की व्यवस्था की गई है।
- फोरेंसिक विज्ञान और तकनीक का बढ़ा प्रयोगः प्रत्येक गंभीर अपराध की जांच में फोरेंसिक प्रमाण को अनिवार्य कर जांच प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक बनाया गया है।
- समयबद्ध न्याय प्रणालीः अभियोजन, सुनवाई और न्याय प्रक्रिया के हर चरण को निश्चित समयसीमा में पूरा करने की व्यवस्था की गई है।
- पीड़ित–केंद्रित न्याय प्रणालीः पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और उनके पुनर्वास पर विशेष बल दिया गया है।
- नये अपराधों की परिभाषाएँ और आधुनिक अपराधों (जैसे साइबर अपराध, संगठित अपराध आदि) के लिए स्पष्ट दंडात्मक प्रावधान।

कार्यक्रम के दौरान व्यापार मण्डल के सदस्यों ने भी नये कानूनों को लेकर अपने सुझाव एवं प्रश्न रखे, जिनका समाधान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा विस्तार से किया गया। साथ ही, यह भी बताया गया कि समाज के सभी वर्गों को इन नये प्रावधानों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे वे न केवल अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें बल्कि अन्य नागरिकों को भी जागरूक कर सकें।अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा उपस्थित जनसमूह से अपील की गई कि वे नये आपराधिक कानूनों की जानकारी अपने–अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों, संगठनों एवं आम नागरिकों तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाएँ, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप कानूनी साक्षरता और विधिक जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके।

<u>इस अवसर पर व्यापार मण्डल के पदाधिकारी एवं सदस्य सहित जनपद के पत्रकार बन्धु उपस्थित रहें।</u>

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 31.07.2025</u>

<u>जनपदीय पुलिस से अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने वाले 02 उपनिरीक्षक हुए सेवानिवृत्त, पुलिस लाइन स्थित सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शॉल व फूल–माला पहनाकर उज्ज्वल भविष्य की दी गई शुभकामनाएं–</u>

गोण्डा। आज दिनांक 31.10.2025 को जनपद गोण्डा पुलिस से 02 उ0नि0 अपनी अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्त हुए। इस दौरान पुलिस लाइन गोण्डा स्थित सभागार कक्ष में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों को शॉल व फूल–माला पहनाकर, छाता व अन्य धार्मिक पुस्तके भेंट करते हुए विदा किया गया। महोदय द्वारा सेवानिवृत्त हुए पुलिस कर्मियों से सेवानिवृत्त होने पर उनके द्वारा पुलिस विभाग को दिये गये योगदान की सराहना की गयी एवं सेवानिवृत्ति उपरांत भी पुलिस विभाग का यथासंभव सहयोग करने की अपेक्षा की गयी तथा सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गयी।

<u>इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी लाइन्स सुश्री शिल्पा वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य कर्मचारीगण एवं सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के परिवारीजन मौजूद रहे।</u>

<u>सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस कर्मियों का विवरण–</u>
01. उ0नि0स0पु0 रामजी यादव।
02. उ0नि0ना0पु0 जय प्रकाश राय।

<u>मीडिया सेल गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 31.10.2025</u>

<u>मिशन शक्ति के अंतर्गत 'ऑपरेशन कन्विक्शन' में गोण्डा पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी से दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 12,000/– के अर्थदण्ड की सजा–</u>

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>
दिनांक 10.08.2022 को थाना मोतीगंज क्षेत्रान्तर्गत रहने वाली वादिनी द्वारा थाना मोतीगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी अंकित मिश्रा द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ दुराचार किया गया है। वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मोतीगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त अंकित मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 09.09.2022 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

<u>दोषसिद्धि का विवरण–</u>
अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। आज दिनांक 31.10.2025 को गोण्डा पुलिस एवं अभियोजन (अभियोजक श्री अभिनव चतुर्वेदी, थाना मोतीगंज के पैरोकार हेड मु0आ0 ओमप्रकाश व कोर्ट मोहर्रिर हेड का0 प्रमोद कुमार) के द्वारा की द्वारा गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायालय/एफ0टी0सी0 प्रथम महोदय श्रीमती नित्या पाण्डेय द्वारा अभियुक्त अंकित कुमार मिश्रा पुत्र राम प्रताप मिश्रा नि0 पुजारी पुरवा मौजा हरनाटायर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को दोषसिद्ध करते हुए को 10 वर्ष का कारावास व रू0 12,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>अभियुक्त का नाम पता–</u>
01. अंकित कुमार मिश्रा पुत्र राम प्रताप मिश्रा नि0 पुजारी पुरवा मौजा हरनाटायर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

<u>अभियोग का विवरण–</u>
01. मु0अ0सं0–185/2022, धारा 376,506 भादवि थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा जनपद गोण्डा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 31.10.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा गैरइरातदन हत्या का प्रयास व बलवा करते हुए मारपीट करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–871/2025 धारा 191(2),191(3),140(1),115(2),110,127(2) बीएनएस से संबंधित 02 आरोपी अभियुक्तों–01. साहिल पुत्र अली अहमद, 02. तरूण दुबे पुत्र स्व0 दीप नारायण दूबे को रेलवे स्टेशन गोण्डा के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद पल्सर मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 28.10.2025 को वादी प्रमोद कुमार पाण्डेय द्वारा थाना को0 नगर मे लिखित तहरीर दी गयी कि उनका 16 वर्षीय पुत्र युवराज पाण्डेय बाजार गया था। रास्ते में बड़गांव चौकी के पास से तरुण दूबे, साहिल व चार अज्ञात व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल से उसका अपहरण कर मिश्रौलिया पुल के पास सुनसान जगह पर ले जाकर लाठी–डण्डे, सरिया से बुरी तरह से मारा–पीटा तथा घायल अवस्था में घोसियाना के पास छोड़कर फरार हो गए। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 31.10.2025 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए अभियुक्तों मे से 02 आरोपी अभियुक्तों–01. साहिल पुत्र अली अहमद, 02. तरूण दुबे पुत्र स्व0 दीप नारायण दूबे को रेलवे स्टेशन गोण्डा के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद पल्सर मोटरसाईकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–
01. साहिल पुत्र अली अहमद, नि0 महारानीगंज घोसियाना थाना को0 नगर गोण्डा।
02. तरुण दुबे पुत्र स्व0 दीप नारायण दुबे, नि0 बरियार पुरवा थाना को0 नगर गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–871/2025 धारा 191(2),191(3),140(1),115(2),110,127(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 01 अदद घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाईकिल।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. विपुल कुमार पाण्डेय।
02. का0 विजय कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 31.10.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में नये आपराधिक कानूनों के प्रति जन–जागरूकता अभियान 2.0 के अन्तर्गत गोण्डा पुलिस द्वारा चलाया जा रहा व्यापक विधिक जनजागरूकता अभियान–

भारत सरकार द्वारा पारित नये आपराधिक कानून– भारतीय न्याय संहिता 2023 (बी0एन0एस0), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बी0एन0एस0एस0) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (बी0एस0ए0) दिनांक 01 जुलाई 2024 से सम्पूर्ण देश में लागू किए जा चुके हैं। शासन की मंशा के अनुरूप इन नये कानूनों की जानकारी आमजनमानस तक पहुँचाने एवं विधिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से दिनांक 30.10.2025 से 01.11.2025 तक तीन दिवसीय "नये आपराधिक कानूनों के प्रति जन–जागरूकता अभियान 2.0" का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारीगण, क्षेत्राधिकारीगण एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, ग्रामीण क्षेत्रों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम, गोष्ठियाँ, संवाद सत्र एवं पोस्टर–बैनर प्रदर्शनी आयोजित की जा रही हैं। कार्यक्रमों के दौरान आमजनमानस एवं छात्र–छात्राओं को नये कानूनों की प्रमुख विशेषताओं से अवगत कराया जा रहा है, जिनमें प्रमुख रूप से जीरो एफआईआर की सुविधा, जिसके अंतर्गत किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है, ई–एफआईआर के माध्यम से तकनीकी रूप से सुलभ रिपोर्टिंग प्रणाली, समयबद्ध न्याय प्रणाली की व्यवस्था, महिला एवं बाल संरक्षण से संबंधित प्रावधानों का सशक्तीकरण, प्रौद्योगिकी एवं फोरेंसिक विज्ञान के उपयोग से जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता व प्रभावशीलता, पीड़ित–केंद्रित प्रावधानों के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता का समावेश तथा नये अपराधों की परिभाषाएँ एवं उनके अंतर्गत दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी प्रदान की जा रही है। अभियान के दौरान जनपदीय पुलिस द्वारा स्थानीय नागरिकों, अध्यापकों, अभिभावकों एवं छात्र–छात्राओं के साथ संवाद स्थापित कर उनके प्रश्नों का समाधान किया जा रहा है। साथ ही, सूचना पुस्तिकाएँ, बैनर, पम्पलेट एवं डिजिटल माध्यमों के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नये कानूनों का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि न्याय सुनिश्चित करना, पीड़ितों की सुरक्षा एवं सम्मान की रक्षा करना और अपराधों की रोकथाम के लिए तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देना है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि नये आपराधिक कानून न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल एवं जनहितकारी बनाते हैं। उन्होंने आमजन से अपील की है कि इन कानूनों की जानकारी प्राप्त करें तथा अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें। साथ ही उपस्थित जनसमूह से अपील की जा रही है कि नये आपराधिक कानूनों की जानकारी अपने–अपने घरो व आस–पास के लोगो तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाएँ, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप कानूनी साक्षरता और विधिक जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 31.10.2025

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा रंगदारी मांगने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–233/2025 धारा 308(5) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजेश कुमार चौहान उर्फ नानमुन्ना पुत्र स्व0 रामसेवक सिंह नि0 धरमपुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को खुर्रमनगर लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

वादी अवधेश कुमार सिंह पुत्र छेदी सिंह निवासी ग्राम कुडवा, मौजा नरायनपुर कला, थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा द्वारा थाना कटराबाजार में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी राजेश कुमार सिंह चौहान उर्फ नानमुन्ना पुत्र स्व0 रामसेवक सिंह निवासी ग्राम धरमपुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा दिनांक 17/18.10.2025 की रात लगभग 12:35 बजे विपक्षी द्वारा अपने मोबाइल नं0 से प्रार्थी के पुत्र गौरव सिंह के मोबाइल नं0 पर कई बार कॉल कर गाली–गलौज करते हुए धन उगाही व जान से मारने की धमकी दी गयी है। विपक्षी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसने पूर्व में भी धन उगाही की है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कटराबाजार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 31.10.2025 को थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त राजेश कुमार चौहान उर्फ नानमुन्ना पुत्र स्व0 रामसेवक सिंह नि0 धरमपुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को खुर्रमनगर लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. राजेश कुमार चौहान उर्फ नानमुन्ना पुत्र स्व0 रामसेवक सिंह नि0 धरमपुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–233/2025 धारा 308(5) बीएनएस थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 पवन कुमार सिंह।
02. कां0 मनोज कुमार।
03. का0 चन्दन मिश्रा।
04. का0 सोमेन्द्र सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा